राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3895/2025

राजेश्वरी शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री शिवात्मा कुमार टाक, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–तृतीय लेवल–प्रथम के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, विजयपुरा, बस्सी, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का समायोजन/पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Banskhoh, बस्सी में स्थानांतरण किया गया है एवं आदेश दिनांक 23.7.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बगराना, झोटवाड़ा में आदेश दिनांक 24.09.2007 (अनुलग्नक–2) के द्वारा हुई थी। वर्तमान में अपीलार्थी आदेश दिनांक 25.06.2010 की पालना में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, विजयपुरा, बस्सी, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के पति की मृत्यु हो चुकी है। अपीलार्थी का बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसका ईलाज निरंतर जारी है। अपीलार्थी ने अपने निवास स्थान के निकट स्थित रिक्त पदों की सूची शाला दर्पण के माध्यम से दर्शाते हुए

निवेदन किया है कि अपीलार्थी को पदस्थापन उक्त पदों पर किया जा सकता है। उक्त संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया है, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 22.07.2025 को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रखा जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य